<u>समाचार</u>

लाकडाउन उल्लंघन पर 2100 रूपये जुर्माना

कोरबा 10 मई 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 2100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। बेवजह घूमने वालों, लाकडाउन के दौरान दुकान खोलने वालों आदि पर यह कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालको जोनांतर्गत 800 रूपये, टी. पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 700 रूपये तथा दर्री जोनांतर्गत 100 रूपये का अर्थदण्ड विभिन्न प्रकरणों पर लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन का उल्लंघन न करें।

संपादकव्यूरोचीफ.......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)